निरीक्षण आख्या

निरीक्षण कर्ता का नाम	:	विजय किरन आनन्द,
पदनाम	:	जिलाधिकारी शाहजहॉपुर
निरीक्षण स्थल का नाम	:	ग्राम सभा सिसौआ, वि0ख0 भावलखेड़ा, जनपद शाहजहाँपुर।
निरीक्षण की तिथि	:	28.04.2016

1— भ्रमण का विवरण :—

मेरे द्वारा राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत गोद ली गयी ग्राम सभा सिसौआ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेरे साथ डा0 कमल कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर, श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्री ओंकारनाथ वर्मा, तहसीलदार—सदर, श्रीमती गीता द्विवेदी, प्रभारी सी0डी0पी0ओ0—भावलखेड़ा जिला कार्यकम अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भावलखेड़ा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियॉं, सहायिकायें, स्वास्थ्य तथा पंचायत विभाग के कर्मचारी, ग्राम प्रधान एवं लगभग 1200 से अधिक संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

2. सभी सूचनायें भरी हुई—राज्य पोषण मिशन द्वारा निर्धारित प्रारूप को निरीक्षण तिथि के समय पूर्ण किया गया। जो संलग्न है।

3. वर्णात्मक रिपोर्ट :—

आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण तथा उनमें पंजीकृत कुपोषित बच्चों का विवरणः—

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम में 02 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। एक आंगनवाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय भवन में तथा दूसरा केन्द्र निजी भवन के बरामदे में संचालित पाया गया। प्राथमिक विद्यालय भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित सहायिकाओं से बच्चों को दी जा रही शिक्षा आदि के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि केन्द्र पर उपस्थित बच्चों को सहायिकाओं द्वारा भावगीत आदि भी नहीं सिखाया जा रहा है तथा न ही उनको नियमित रूप से पोषाहार आदि ही वितरित किया जा रहा है। केन्द्र का संचालन नाम—मात्र के लिए किया जा रहा है।

इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान ग्राम के स्थिति द्वितीय आंगनवाड़ी केन्द्र का भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र निजी भवन के बरामदे में संचालित है। तहसीलदार—सदर को निर्देशित किया गया कि तत्काल उक्त ग्राम में आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल तहसीलदार—सदर से समन्वय स्थापित कर चयनित भूमि पर आंगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। उक्त दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराएं। आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित सहायिकाओं से बच्चों को दी जा रही शिक्षा आदि के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि

केन्द्र पर उपस्थित बच्चों को सहायिकाओं द्वारा भावगीत आदि भी नहीं सिखाया जा रहा है तथा न ही उनको नियमित रूप से पोषाहार आदि ही वितरित किया जा रहा है। केन्द्र का संचालन नाम–मात्र के लिए किया जा रहा है। उक्त दोनों केन्द्रों पर कार्य की गुणवत्ता अत्यन्त ही असन्तोषजनक पायी गई। इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह दोनों केन्द्रों पर तैनात आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के कार्यो की एक माह बाद समीक्षा करें यदि इनके कार्यों में सुधार परिलक्षित न पाया जाए तो सभी के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही : तहसीलदार–सदर/जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

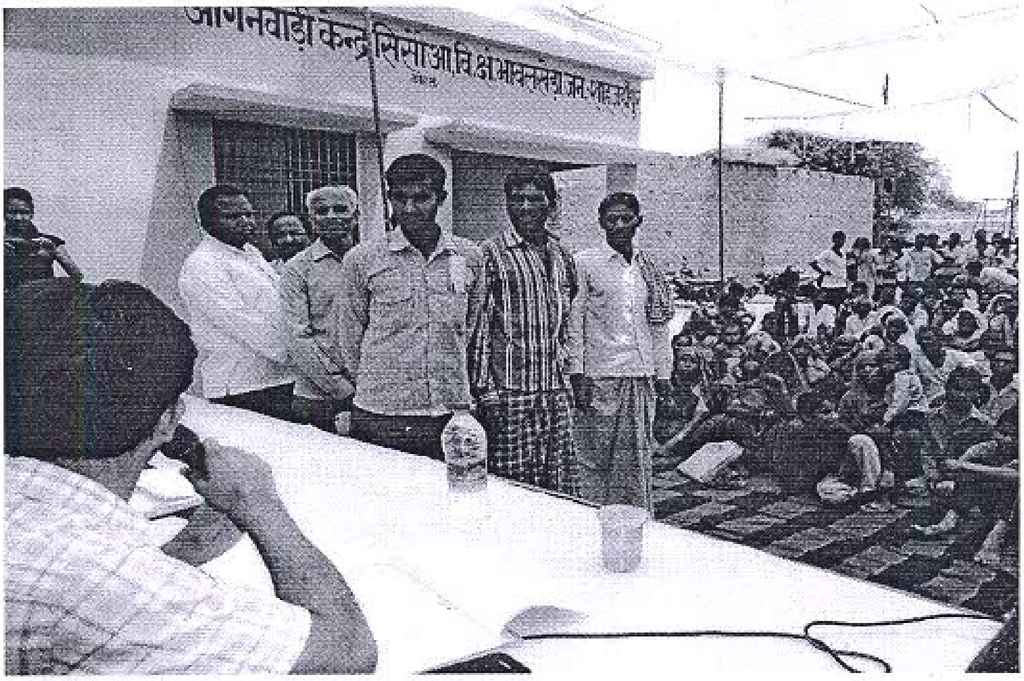

क्रम सं0	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	माह जनवरी, 2015 में			वर्तमान माह में (मार्च, 2016)					सुधरीकृत बच्चो की सं0	
		0–5 वर्ष के कुल बच्चों की सं0	लाल श्रेणी के बच्चों की सं0	पीली श्रेणी के बच्चों की सं0	0–5 वर्ष के कुल बच्चों की सं0	लाल श्रेणी के बच्चों की सं0		पीली श्रेणी के बच्चों की सं0		लाल श्रेणी के बच्चों में सुधार (4–7)	पीली श्रेणी के बच्चों में सुधार (5–9)
						जनवरी, 2015 के सापेक्ष	जनवरी 2015 के पश्चात चिन्हांकित नये बच्चे जो वर्तमान माह में भी लाल श्रेणी में है।	जनवरी, 2015 के सापेक्ष	जनवरी 2015 के पश्चात चिन्हांकित नये बच्चे जो वर्तमान माह में भी पीली श्रेणी में है।		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	सिसौआ	259	04	58	256	6	06	410	00	00	06
02	सिसौआ (चरखुई)	159	03	44	138	1	01	11	00	00	04
	योग	418	07	102	394	7	07	411	00	00	10

ग्राम सिसौआ में आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकृत कुपोषित बच्चों का निम्नवत् अंकित तालिका के आधार से यह स्पष्ट है कि माह जनवरी, 2015 के सापेक्ष मार्च, 2016 मे 07 अतिकुपोषित (लाल श्रेणी) बच्चों मे सुधार हुआ जबकि कुपोषित श्रेणी (पीली श्रेणी) के बच्चों मे माह जनवरी, 2015 के सापेक्ष मार्च, 2016 में 411बच्चों में सुधार हुआ है। जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम में लगातार भ्रमण करें तथा कुपोषण

से ग्रस्त शेष बच्चों को एक माह के भीतर कुपोषण से मुक्त कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही : जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

4. सुधार के लिये सुझाव :– ग्राम में निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनसमुदाय को कुपोषण के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। ग्रामवासियों को स्वच्छता से रहने, शौचालय का प्रयोग करने तथा किसी भी दशा में खुले में शौच न करने तथा खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों एवं समस्याओं से अवगत कराया गया। ग्राम में गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार दिये जाने के तथा उनको नियमित रूप से आवश्यक आयरन, फोलिक ऐसिड एवं कैल्शियम की दवाएं दिए जाने हेतु प्रेरित किया गया। कुपोषण दूर करने के सम्बन्ध मे जिला कार्यकम अधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय मुंख्य सेविका तथा ग्राम–सभा में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से प्रत्येक माह वी0एच0एन0डी0पर 0 से 5 वर्ष तक सभी बच्चों का वजन करना सुनिश्चित करें तथा जिसका अंकन ग्रोथ चार्ट पर भी किया जायें एवं चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों का गृह भ्रमण कर बच्चों के माता–पिता को पोषण एवं पुर्नवास केन्द्र भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाये तथा मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उपस्थित प्रभारी चिकित्साधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य कैंप लगाकर चिन्हित कुपोषित तथा अतिकुपोषित बच्चों व गर्भवती व धात्री महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

5. कार्यो का विवरण– आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को संज्ञात्मक ज्ञान की पुस्तकें, खिलौने व स्लेटें वितरित की जा चुकी है। राज्य पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद मे प्राथमिक विद्यालय मे संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों मे रंगाई–पुताई, हिन्दी–अंग्रेजी वर्णमाला, फल–फूल, पक्षियों का चित्रण कराया जा चुका है। आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं क्षेत्रीय मुख्य सेविका को यह निर्देश दिये गये कि प्रदान की गयी उक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में जनसमुदाय में प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्त सुविधाओं का लाभ लाभार्थियों को प्रदान किया जायें। ग्राम सभा सिसौआ लाभार्थियों को सैनिटेशन किट का वितरण कराया गया।

6. आगामी माह की कार्ययोजना–

राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत संचालित कुपोषण उन्नमूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा गोद ली गई ग्राम सभा सिसौआ, विकास खण्ड, भावलेखेड़ा में कुपोषण उन्नमूलन हेतु आगामी माह हेतु निर्धारित कार्ययोजना निम्नवत् है :–

अ–बाल विकास विभाग हेतु–

(क)– सभी गर्भवती/धात्री महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण/समय समय पर अपडेट करते हुए उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण हेतु वी0एच0एन0डी0 सत्र स्थल पर लाना सुनिश्चित किया जायें।

(ख)– प्रत्येक माह अतिकुपोषित बच्चों की सूची बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करें तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी से समन्वय बनाते हुए अतिकुपोषित बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण के समय उपस्थित रहें।

(ग)– चिन्हित किये गये अतिकुपोषित बच्चों का 15 दिवस के अन्तराल पर पुनः वजन कर स्वास्थ्य प्रगति की निगरानी करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

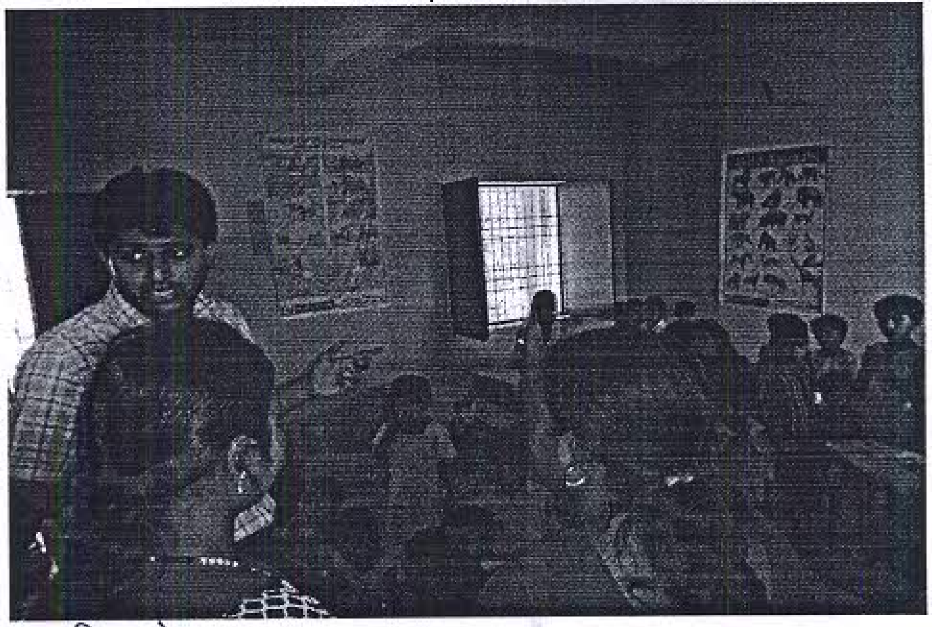

<u>ब–स्वास्थ्य विभाग हेतु–</u>

(क)– प्रत्येक ग्राम सभा में समस्त गर्भवती महिलाओं तथा 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का समयानुसार सम्पूर्ण टीकाकरण करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि वह क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर दिशा–निर्देश प्रदान करें कि वह गर्भवती व धात्री महिलाओं को आवश्यक टीकाकरण करें तथा, आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां व विटामिन–ए आदि का नियमित रूप से वितरण कराएं।

(ख)– ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि आयरन की गालियॉ स्टाक मे अभी तक उपलब्ध नही है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर को पुनः निर्देशित किया गया कि वह शीघ्र आयरन की गोलियॉ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आवश्यकतानुरूप ग्रामीण महिलाओं के उपयोगार्थ वितरित की जा सके। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए गम्भीरता से ले और आवश्यकता पूर्ति कराएं।

(कार्यवाही : मुख्य चिकित्साधिकरी / जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

<u>स–पंचायत राज विभाग हेतु–</u>

(क)– ग्राम में निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि अभी भी ग्राम की अधिकांश जनसंख्या खुले में शौच के लिए जाती है । ऐसे में खुले में शौच को हतोत्साहित कर शौचालय की उपलब्धता तथा उसका उपयोग करने के प्रति ग्रामवासियों को जागरूक करना सुनिश्चित किया जाये।

(ख)– इस बात का विशेष ध्यान रखा जायें कि कूड़े/गन्दगी का निस्तारण सफाईकर्मी द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

ग्राम सभा सिसौआ में निरीक्षण के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी निरीक्षण उपस्थित अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई :–

<u>सम्पर्क मार्ग :–</u>

ग्राम सिसौआ, विकास खण्ड भावलखेड़ा के निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि ग्राम मुख्य मार्ग पर स्थित है। मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है तथा मरम्मत योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 को निर्देशित किया गया कि वह आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व सड़क की मरम्मत कराकर आवागमन हेतु सुलभ कराना सुनिश्चित करें।

<u>विद्युतीकरण :–</u>

ग्राम में भ्रमण के दौरान विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में विद्युत आपूर्ति सुचारू है तथा ग्राम के मजरा चरमुई में विद्युत लाइन पड़ी है किन्तु विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। साथ ही ग्राम के दूसरे मजरे रामापुर में विद्युत लाइन नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि

वह ग्राम में विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन कराएं जाएं और जिन मजरों में विद्युत आपूर्ति नहीं है संचालित है, उनकी कार्ययोजना तैयार कराकर आगामी माह में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए। ग्रामवासियों से ट्रांसफार्मर की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में कुल 03 ट्रांसफार्मर हैं, जो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में मात्र 06 से 07 घण्टा ही विद्युत आती है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम में होने वाले लोकल फॉल्ट को तत्काल सही कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और ग्रामीण क्षेत्रों उपलब्ध होने वाली विद्युत आपूर्ति को शत्‌प्रतिशत उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही : अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, शाहजहाँपुर।)

<u>स्वच्छ शौचालय :–</u>

ग्राम में भम्रण के दौरान सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराय गया कि इस राजस्व ग्राम सिसौआ में कुल 176 स्वच्छ शौचालय वर्ष 2014–15 के दौरान बनाये गये है। निरीक्षण के दौरान गांव में भम्रण कर बनाये गये शौचालयों को देखा गया गांव में शौचालय मानक के अनुरूप नहीं पाये गये है किसी भी शौचालय में रोशनदान अथवा खिड़की की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अधिकांश शौचालय में दरवाजे आदि नहीं लगे पाये गये तथा जिन शौचालय में दरवाजे लगे है उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः ग्राम में शौचालय की स्थिति असन्तोषजनक पायी गयी। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम में खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाए तथा टीम भेज कर ग्राम में लोगों को खुले शौच से होने वाली बीमारियों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक कराएं तथा सुनिश्चित करें कि सभी ग्रामवासी अपना शौचालय स्वयं बनवाएं तथा शौचायल पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनको स्वीकृति पत्र प्रदान कर धनराशि उनके खातों में भिजवाएं। खण्ड विकास अधिकारी, भावलखेड़ा को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम में निगरानी टीम गठित कर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों को चिहिन्त करें तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे। तहसीलदार–तिलहर को निर्देशित किया गया कि वह राजस्व विभाग की टीम के साथ कार्य करते हुए खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाएं।

<u>स्वच्छ पेयजल :–</u>

ग्राम में भ्रमण के दौरान स्वच्छ पेयजल हेतु ग्राम में स्थापित हैण्डपम्पें की जानकारी प्राप्त की गई। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में ग्रामवासियों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु कुल 46 हैण्डपम्प स्थापित हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सभी हैण्डपम्प कार्यरत हैं और सही हैं। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल सभी हैण्डपम्पों के पानी का परीक्षण कराएं कि उनका पानी पीने योग्य है अथवा नहीं तथा यह परीक्षण नियमित रूप से समय–समय पर कराया जाए। यदि किसी नल के पीने का पानी स्वच्छ अथवा पीने योग्य नहीं है, तो अवलिम्ब उसकी मरम्मत कर सही कराया जाए। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वह ग्रामवासियों से वार्ता कर उनको जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनके द्वारा निजी रूप से लगाए गए हैण्डपम्पों के पानी को किसी भी दशा में पेयजल के लिए उपयोग मे न लाएं और सभी ग्रामवासी केवल इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के पानी को ही पेयजल हेतु उपयोग में लाने के लिए जागरूक करें।

ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह पेयजल की नियमित टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग किट ग्राम में ही सुरक्षित रखें और समय समय पर पेयजल का परीक्षण करें। अधिशासी अभियन्ता, जल